



**थाना नूरपुर पुलिस द्वारा शातिर शराब तस्कर/गैंगस्टर एक्ट का वांछित /15,000 रुपये का पुरस्कार
घोषित अभियुक्त मदन गिरफ्तार**

थाना नूरपुर:- आज दिनांक 02.10.2021 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मदन पुत्र हुकम चंद निवासी ग्राम बिटाना उर्फ बुटाना थाना बरोंदा तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 85/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नूरपुर के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी करता है। पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।



थाना चांदपुर:- आज दिनांक 02/10/2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शहजाद पुत्र मोहिउद्दीन निवासी वी-14 मकान नंबर - 6 उस्मानिया मस्जिद नई बस्ती थाना कोतवाली शहर को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 591/21 धारा 504 भादवी ब 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 02.10.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त गण 1.अमीर अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी काशीराम कालोनी थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर को सम्बन्धित मु0अ0स0 0647/2021 धारा 498ए/323/504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट व 3/4 तीन तलाक अधि0 थाना कोतवाली शहर, बिजनौर 2.राजेश चौहान पुत्र शीशपाल सिंह, निवासी B24 मौ0 चाहशीरी बाड़वान, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर सम्बन्धित मु0अ0स0 0667/2021, धारा 354 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट 3.अमर पुत्र मनोज नि0 मौ0 काजीपाड थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर उम्र 20 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0स0 0674/21 धारा 341/354/323/504/506 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट 4. रईस पुत्र शहीद अहमद निवासी ब्लाक न0 51/608 काशीराम कालोनी बैराज रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर सम्बन्धित सत्रवाद संख्या 105/19 मु0अ0स0 977/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 02.10.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.नईम अहमद पुत्र अब्दुल अजीज 2.मोहम्मद आदिल पुत्र अब्दुल अजीज 3.जावेद पुत्र अब्दुल अजीज 4.मोहम्मद साद अहमद पुत्र फहीमुद्दीन निवासीगण रवाना शिकारपुर थाना स्योहारा 5.वसीम अकरम पुत्र अख्तर हुसैन निवासी ग्राम सरकडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 6.रामदास पुत्र हरी सिंह 7.दीपक पुत्र रामदास निवासी गन सब्दलपुर 8.श्रीमती केशव देवी पत्नी राम दास निवासी सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।



जनपद बिजनौर

मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीरमपुरी में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गावों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा ग्राम जसवंतपुर में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को प्रभारी एन्टीरोमियो द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी तथा बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

